न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 02/2018

अनवान :–

1. रामलाल पुत्र गूमानाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायला

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र बेगाराम जाति नाई निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. अमरसिह पुत्र बेगारमा जाति नाई निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. साहबराम पुत्र बेगाराम जाति नाई निवासी थालडका तहसील नोहर।

असल गैरसायल

4. रामप्रताप पुत्र गुमानाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
5. रामसिह पुत्र गुमानाराम जाति नाई निवासी थालडका तहसील नोहर।
6. रामकुमार पुत्र गुमानाराम जाति नाई निवासी थालडका तहसील नोहर।
7. मन्जूदेवी पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
8. कैलाश पुत्री दयाराम जाति जाट नाबालिग जरिये बली माता मन्जूदेवी पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
9. कान्ता पुत्री दयाराम जाति जाट नाबालिग जरिये बली माता मन्जूदेवी पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
10. सुनीता पुत्री दयाराम जाति जाट नाबालिग जरिये बली माता मन्जूदेवी पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
11. शारदा पुत्री दयाराम जाति जाट नाबालिग जरिये बली माता मन्जूदेवी पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
12. रविकुमार पुत्र दयाराम जाति जाट नाबालिग जरिये बली माता मन्जूदेवी पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अभिभाषक, सायल
श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक : 11/6/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 केएम के प0न0 214/396(6) किला न0 18/0.253 ,23/.253 ,प0न0 213/397(18) किला न0 6/0.253 ,7/0.253 ,15/0.253 ,16/0.253 , 24/0.253 ,25/0.2530 ,प0न0 214/397(19) किला न0 1 ता 3/0.759 , 7 ता 14/2.0240 ,17 ता 22/1.518 , 23/0.215 ,24/0.127 कुल 6.667हैक भूमि सायल एवं गैरसायल संख्या 4 ता 12 की मुश्तरका खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:34:08 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा चक 5 केएम ... के किला न0 25/0.127 ,प0न0 214/398के किला न0 3 ,4 ,5 ,8 ,9/0.745 ... प0न0 217/399 के ... न0 9/0.013

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

,12/0.063 ,13 ता 15/0.759 ,प0न0 218/399 के किला न0 11/0.052 ,कुल 1.758हैक भूमि गैरसयल संख्या 1 ता 3 की मुश्तरका कब्जा काश्त की भूमि है।

सायल एवं गैरसायल संख्या 4 ता 12 गांव थालडका से पश्चिमी दिशा में स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होते हुये गैरसायल संख्या 1 ता 3 के खेत के किला न0 25 में से होकर अपने खेत किला न0 25 में प्रवेश कर जाते है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक एवं नजदीकी है जिसका उपयोग उपभोग होता आ रहा है।

सायल एवं गैरसायल संख्या 4 ता 12 को अपने खेत में जाने के लिये प0न0 214/397 के किला न0 25 में से दक्षिणी साईड में एक गठठा चौडा रास्ता की आवश्यकता है जो साल एवं गैरसायल संख्या 4 ता 12 के लिये सबसे उपयुक्त व सुविधाजनक है अन्य कोई मन्जुर शुद्वा रास्ता नही है किन्तु गैरसायल संख्या 1 ता 3 सायल के आवागमन में बाधा पैदा करते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति हो सकती है सायल एवं गैरसायल संख्या 4 ता 12 उक्त रास्ता की भूमि के बदले भूमि या बाजार भाव राशि जो भी सायल चाहता है देने के लिये तैयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 5 केएम के प0न0 214/397 के किला न0 25 में से एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 4 ता 12 के विरूद्व सायल का अनुतोष नही है इनका अनुतोष सायल के अनुतोष में समाहित है गैरसायल संख्या 1 ता 3 की और से विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करतें हुए जबाब पेश किया गया की

सायल जहॉ से रास्ता चाहता है वहा पर सायल की कोई भूमि है इसलिये इस अदालत को सायल का अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार नही है क्योकि सायल की भूमि चक 6 केएम तहसील रावतसर में पडती है तथा सायल किला न0 24 में रास्ता चाहता है वह चक 5 केएस तहसील नोहर में है तथा उक्त किला सायल के नाम दर्ज नही है तथा उक्त किला ना तो मुरब्बा नम्बर दर्ज किया तथा ना ही प0न0 दर्ज किया है इसलिये धारा 17 सीपीसी के प्रावधानों के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायल का प्रार्थना पत्र इस न्यायलय के क्षेत्राधिकार का नही है

सायल जिस किले में रास्ता चाहता है वो किला सायल के नाम दर्ज नही है तथा ना ही चक 5 केएम में सायल व तरतीबी गैरसयलान संख्या 4 ता 12 की भूमि है तथा चक 6 केएम के काश्तकार है जो तहसील रावतसर में है तथा उसके लिये अलग सिचाई व्यवस्था हेतु सिचाई विभाग द्वारा रास्ता ... है तथा गैरसायल न0 1 ता 3 चक न0 5 केएम तहसील रावतसर के काश्तकार ... के लिये उक्त व चक काश्तकारो के लिय सिचाई विभाग द्वारा अलग से रास्ता ... सिचाई विभाग के बनाये हुये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:54:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल का प्रार्थना पत्र 8(2) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम जनरल कॉलोनी कन्डीशन सन 1955 के कोई नॉमर्स पुरे नही होते है इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

गैरसायल का किला था जो लगभग समस्त नहर में आ गया है तथा सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त कथनों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो मेलाफाईड इन्टेशन से आफटर थोट है केवल गैरसायलान को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिल खारिज है सायल ने स्पष्ट नही किया की किला न0 24 के लिय रास्ता चाहता हे वो चक 5 केएम तहसील नोहर का है यानी चक 6 केएम तहसील रावतसर का है चक 6 केएम तहसील रावतसर का है तो इसका क्षेत्राधिकार क्षेत्र रावतसर उपखण्ड कोर्ट है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा चक 6 केएम के प0न0 214/396(6) किला न0 18/0.253 ,23/.253 ,प0न0 213/397(18) किला न0 6/0.253 ,7/0.253 ,15/0.253 ,16/0.253 , 24/0.253 ,25/0.2530 ,प0न0 214/397(19) किला न0 1 ता 3/0.759 , 7 ता 14/2.0240 ,17 ता 22/1.518 , 23/0.215 ,24/0.127 कुल 6.667हैक्ट भूमि सायल एवं गैरसायल संख्या 4 ता 12 की मुश्तरका खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है।

रोही मौजा चक 5 केएन के प0न0 214/397 के किला न0 25/0.127 ,प0न0 214/398के किला न0 3 ,4 ,5 ,8 ,9/0.745 , प0न0 217/399 के किला न0 9/0.013 ,12/0.063 ,13 ता 15/0.759 ,प0न0 218/399 के किला न0 11/0.052 ,कुल 1.758हैक्ट भूमि गैरसयल संख्या 1 ता 3 की मुश्तरका कब्जा काश्त की भूमि है।

सायल का कथन है कि सायल गांव थालडका से पश्चिमी दिशा में स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होते हुये गैरसायल संख्या 1 ता 3 के खेत के किला न0 25 में से होकर अपने खेत किला न0 25 में प्रवेश कर जाते है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक एवं नजदीकी है जिसका उपयोग उपभोग होता आ रहा है जिसे स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का अनुतोष चाहा गया है।

गैरसायल का कथन है कि सायल की भूमि रावतसर तहसील में पडती है इसलिये इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है गैरसायल का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि सायल ने जहॉ से रास्ता चाहा जा रहा है वह नोहर तहसील की भूमि है सायल स्वय की भूमि नोहर रावतसर तहसील की सीमा पर है इसलिये नोहर तहसील के किला न0 25 के एक कोने में रास्ता चाहता है [illegible] भूमि में प्रवेश कर सके।

मौका रिपोर्ट एवं नज[illegible] भूमि चक 6 केएम रावतसर तहसील में है सायल पक्की [illegible]र से होकर बुधवालिया बस स्टेण्ड से होकर केएम नहर के चालू रास्तें से अस्थाई [illegible]र्डर पुलिया से अपने खेत में आवागमन करता है प्रार्थी के खेत व स्वीकृत शुद्वा रास्त से निकटतम रास्ते के बीच केएम नहर है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:54:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प0न0 214/397 के किला न0 25 की पूर्वी सीमा पर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में रास्ता सुविधाजनक रहेगा प्रार्थी को सुविधा हेतु रास्ता दिया जाना उचित है अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही है।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को उक्त रास्तें के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है यही रास्ता प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उपयुक्त एव सुविधाजनक है तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट गैरसायल के कथनों की पूष्टी करती है

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि सायल की भूमि नोहर रावतसर तहसील की सीमा पर स्थित है सायल की भूमि में जाने के लिये केएम नहर से होकर ही सायल अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकता है जो रावतसर तहसील में है तथा सायल गैरसायल संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि जो नोहर तहसील में है में से होकर गार्डर पुलिया से होकर अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करता है इसके अलावा अन्य कोई स्वीकृत रास्ता सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है किसी भी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना आवश्यक है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 5 केएम के प0न0 214/397 के किला न0 25/1 की पूर्वी सीमा पर उत्तर से दक्षिण लम्बारई (165फुट) में एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है इस रास्ता में गैरसायल न0 1 ता 3 की जितनी भूमि आती है उसके बदले में सायल गैरसायल को डीएलसी दर की दुगनी राशि देगा । स्वीकृत किये गये रास्ते में गैरसायल की एक बिस्वा भूमि आती है सायल रास्ते की भूमि में आने वाली भूमि की डीएलसी दर (1210000/– प्रति हैक्टयर) है अर्थात एक बिष्वा भूमि की किमत (15125/–रू) है जिसकी दुगनी दर से कुल रास्ते में आने वाली एक बिष्वा भूमि की किमत रू (30250/– रू) है जिसका ड्राफ्ट तहसील कार्यालय नोहर में जमा करवाने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे । तहसीलदार नोहर को निदेर्शित किया जाता है कि सायल से रास्ते में आने वाली भूमि की किमत रू (30250/–/रू) ड्राफ्ट प्राप्त किया जाकर नियमानुसार गैरसायलान को भुगतान किया जावे । तत्पष्चात रास्ता की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे । इसी आष्य का आदेष तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/6/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:54:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व/2024/578

तहसीलदार,
नोहर

दिनांक 11/06/24

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 02/2018 निर्णय दिनांक

अनवान :–

1. रामलाल पुत्र गूमानाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1 रामप्रताप पुत्र बेगाराम जाति नाई निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. अमरसिह पुत्र बेगारमा जाति नाई निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. साहबराम पुत्र बेगाराम जाति नाई निवासी थालडका तहसील नोहर।

असल गैरसायल

4. रामप्रताप पुत्र गुमानाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील रामसिह पुत्र गुमानाराम जाति नाई निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. रामकुमार पुत्र गुमानाराम जाति नाई निवासी थालडका तहसील नोहर।
6. मन्जूदेवी पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
7. कैलाश पुत्री दयाराम जाति जाट नाबालिग जरिये बली माता मन्जूदेवी पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
8. कान्ता पुत्री दयाराम जाति जाट नाबालिग जरिये बली माता मन्जूदेवी पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
9. सुनीता पुत्री दयाराम जाति जाट नाबालिग जरिये बली माता मन्जूदेवी पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
10. शारदा पुत्री दयाराम जाति जाट नाबालिग जरिये बली माता मन्जूदेवी पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
11. रविकुमार पुत्र दयाराम जाति जाट नाबालिग जरिये बली माता मन्जूदेवी पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।

–गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 5 केएम के प0न0 214/397 के किला न0 25/1 की पूर्वी सीमा पर उत्तर से दक्षिण लम्बारई (165फुट) में एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है इस रास्ता में गैरसायल न0 1 ता 3 की जितनी भूमि आती है उसके बदले में सायल गैरसायल को डीएलसी दर की दुगनी राशि देगा । स्वीकृत किये गये रास्ते में गैरसायल की एक बिस्वा भूमि आती है सायल रास्ते की भूमि में आने वाली भूमि की डीएलसी दर (1210000/– प्रति हैक्टयर) है अर्थात एक बिष्वा भूमि की किमत (15125/–रू) है जिसकी दुगनी दर से कुल रास्ते में आने वाली एक बिष्वा भूमि की किमत रू (30250/– रू) है जिसका ड्राफ्ट तहसील कार्यालय नोहर में जमा करवाने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे । तहसीलदार नोहर को निदेर्शित किया जाता है कि सायल से रास्ते में आने वाली भूमि की किमत रू (30250/–/रू) ड्राफ्ट प्राप्त किया जाकर नियमानुसार गैरसायलान को भुगतान किया जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:54:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) नोहर